<u>न्यायालयः— रानो पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर, म.प्र.</u>

आपराधिक प्रकरण कं.20/2013

पंजीयन दिनांक 23.10.2013

1—श्रीमती शीतल गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता, पुत्री श्री अरूण मंडेलिया, आयु 35 साल, व्यवसाय कुछ नहीं, निवासी मकान नं.4, शिवाजी लेन, बिरला नगर, ग्वालियर

.... अभियोजन

विरूद्ध

1— राजेश गुप्ता पुत्र श्री बजरंग लाल गुप्ता, आयु 40 साल, व्यवसाय व्यापार

2— बजरंग लाल गुप्ता पुत्र श्री .... , आयु 68 वर्ष, व्यवसाय प्रायवेट नौकरी,

3— श्रीमती निर्मला गुप्ता पत्नी बजरंगलाल गुप्ता, आयु 65 वर्ष, व्यवसाय गृहकार्य, निवासीगण मकान नं.1496, सेक्टर 15 फरीदाबाद, हरियाणा

4— श्रीमती स्नेहलता जिन्दल पत्नी श्री अविनाश जिंदल, निवासी मकान नं. 1496 सेक्टर 15 फरीदाबाद, हरियाणा, हाल निवासी गांधीधाम, गुजरात

.... अभियुक्तगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक **26.02.2018** को पारित)

1. इस आदेश द्वारा धारा — 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जा रहा है। जिसके द्वारा आवेदिका ने उक्त अधिनियम की धारा 18, 19, 20, 21, 22 के तहत सहायता चाही है।

2. आवेदिका द्वारा प्रकरण में धारा 12 के तहत आवेदन एवं परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर डी0आई0आर0 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

है। आवेदिका का विवाह अनावेदक क्र 1 के साथ दिनांक 16.02.2004 को हिंदू रीति रिवाज से फरीदाबाद, हरियाणा में संपन्न हुआ था विवाह के समय आवेदिका के परिवारजन द्वारा 35 लाख रूपये खर्च किये गये तथा 30 लाख की नकदी अनावेदकगण को दी गई। ससुराल पहुंचने पर अनावेदकगण द्वारा बीस लाख रूपये नकद और एक फ्लेट की मांग की गई। आवेदिका द्वारा मना करने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। आवेदिका को 7 माह के गर्भ दौरान उसे माता पिता के यहां छोड दिया गया, डिलेवरी का खर्चा आवेदिका के पिता द्वारा वहन किया गया। दिनांक 11.01.15 को पुत्र होने पर डेढ माह पश्चात उसके पास आये। दिनांक 16.05.15 को आवेदिका को ससुराल ले गये, अवेदिका की मारपीट की जाती थी। आवेदिका द्वारा पुलिस को शिकायत की जाने पर आवेदिका को अच्छी तरह से रखने के आश्वासन पर पुनः ले आये, पुनः मारपीट कर प्रताडित किया जाने लगा। आवेदिका की मारपीट से उसके कान का डायफ्राम/पर्दा फट गया। आवेदिका की ननद स्नेहलता जिंदल को आवेदिका के पुत्र जीतेश से मां कहलवाते थे। मार्च 2010 में आवेदिका को दिल्ली ले गये वहां भी उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया गया। अनावेदक राजेश आवेदिका की इच्छा के विरूद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाता था, उसे पुत्र जीतेश से मिलने नहीं देता था, खाने—पीने को नहीं देते, मारपीट करता व बीस लाख रूपये नकद और एक फ्लेट की मांग निरंतर करते हुये उसे प्रताडित किया गया। आवेदिका व उसके परिवार द्वारा दिनांक 06.10.13 को अनावेदकगण के ग्वालियर आने पर पुत्र जीतेश व दहेज में दी गई नकदी व सामान की मांग की तो उसे देने से इंकार कर दिया।

3. आवेदिका द्वारा पुलिस थाना हजीरा पर की गई रिपोर्ट पर से अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 498ए भादस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध कायम किया गया। अनावेदक कं.1 प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य करता है, उसके उपर अन्य किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है जबकि आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। उसके भरण पोषण, चिकित्सा व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था अनावेदक द्वारा नहीं की गई व उसे संतान सुख से वंचित कर दिया है। अतः आवेदिका द्वारा अपने आवेदन में और डी0आई0आर0 रिपोर्ट में वर्णित सहायता दिलाये जाने हेतु आदेश दिये

जाने का निवेदन किया।

4. अनावेदकगण के द्वारा उपरोक्त आवेदन का लिखित जबाव प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया है कि आवेदन असत्य तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ वर्ष 2002 में हुआ था विवाह के पश्चात से ही गांधीधाम गुजरात में रहती है। आवेदिका के साथ कोई घरेलू हिंसा नहीं हुई है। आवेदिका की कभी कोई मारपीट नहीं की गई। अनावेदक के माता—पिता 65 वर्षीय बृद्ध हैं। ननद स्नेहलता उनसे पृथक फरीदाबाद से 1500 कि.मी. दूर गांधीधाम गुजरात में निवास करती है। अनावेदकगण द्वारा कभी बीस लाख रूपये व फ्लेट की मांग नहीं की गई। आवेदिका की किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, आभूषण और नकद राशि अनावेदकगण के पास नहीं है। आवेदिका दिनांक 24.10.2013 को गाडी नं. एम.पी.06 जी.ए 2289 में समस्त सामान भरकर ले गई। आवेदिका के मां के चाहे जाने पर कि लडकी की पहली डिलेवरी उसके मायके में होती है, उनकी मां को गौरी नर्सिंग होम के अलावा अन्य पर भरोसा नहीं है। इसलिये आवेदिका मायके गई थी। आवेदिका की डिलेवरी का सारा खर्चा अनावेदक द्वारा वहन किया गया है। आवेदिका के कान में आनुवांशिकी तौर पर बीमारी है, जिसका राजेश ने इलाज करवाया था। वर्ष 2007 में आवेदिका इस जिद पर आई थी कि अनावेदक अपने माता—पिता से पृथक रहे, जिस पर अनावेदक द्वारा 18ए फरीदाबाद में किराये से कमरा लेकर उसे रखा, लेकिन आवेदिका उसे छोडकर दिल्ली में अपने माता पिता के यहां चली गई। अनावेदक राजेश द्वारा बुलाये जाने पर झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देती रही। आवेदिका द्वारा स्वयं अनावेदक राजेश के साथ दिनांक 15.03.2010 को अनुबंधपत्र संपादित किया कि जीतेश को अपने साथ रखने में असमर्थ है, उक्त दिनांक से अनावेदक राजेश ही जीतेश को रखेगा। आवेदिका ग्वालियर में निवासी नहीं करती है। असत्य आधारों पर ग्वालियर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिंदु है—

1— क्या प्रत्यर्थीगण के द्वारा आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई ?

2— क्या आवेदिका अधिनियम की धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश प्राप्त

करने की हकदार है ?

3— कया आवेदिका धारा — 19 के तहत निवास आदेश प्राप्त करने की हकदार है ?

4— क्या आवेदिका धारा 20 के तहत धनीय अनुतोष प्राप्त करने की हकदार है ?

5—क्या आवेदिका अधिनियम की धारा 21 के तहत पुत्र की अभिरक्षा के संबंध में अभिरक्षा आदेश प्राप्त करने की हकदार है?

6— क्या आवेदिका धारा —22 के तहत प्रतिकर आदेश प्राप्त करने की हकदार है ?

सकारण विनिश्चय व कारण

विचारणीय प्रश्न क0 1

6. अधिनियम की धारा 3 में घरेलू हिंसा शब्द को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार प्रत्यर्थी का कोई भी कार्य, लोप, या आचरण घरेलू हिंसा गठित करेंगा। ''**यदि वह 1— व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन अंग या उसकी भलाई को चाहे मानसिक या शरीरिक क्षति या क्षोभ पहुंचाता है या संकटापन्न करता है या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है, 2—किसी उददेश्य या अन्य संपत्ति के लिए विधि विरूद्ध मांग को पूरा करने के लिए व्यथित व्यक्ति या उससे संबद्ध किसी व्यक्ति को प्रपीड़ित करने के लिए व्यथित व्यक्ति का उत्पीडन या उससे हानि पहुंचाना, क्षति पहुंचाना या संकटापन्न करना, 3— उक्त वर्णित कोई आचरण, जो व्यथित व्यक्ति या उससे संबद्ध व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखता हो, 4— व्यथित व्यक्ति को अन्यथा चोट पहुंचाने अथवा शारीरिक या मानसिक नुकशान पहुंचाता है**'' अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा शब्द की परिधि में व्यथित का शारीरिक दुरूपयोग एवं यौन दुरूपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरूपयोग तथा आर्थिक दुरूपयोग को सम्मिलित किया गया है।

7. अधिनियम के अंतर्गत आवेदिका को तभी अनुतोष प्रदान किया जा सकता है जबकि यह तथ्य साबित हो कि प्रत्यर्थीगण द्वारा आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई है। अर्थात् यदि आवेदिका द्वारा यह साबित कर दिया जाता है कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है केवल तभी वह अधिनियम के

अंतर्गत वांछित अनुतोष प्राप्त करने की हकदार है।

8. आवेदिका श्रीमती शीतल अ0सा0 1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में व्यक्त किया है कि अनावेदक क0 1 राजेश उसका पति है जिसके साथ आवेदिका का विवाह 16 फरवरी 2004 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह के पश्चात् आवेदिका अनावेदकगण के साथ फरीदाबाद में 3 माह तक सांझा गृहस्थी में रहीं, किंतु अनावेदकगण ससुराल में उसकी मारपीट करते थें और दहेज में बीस लाख रूपये नकद एवं फ्लेट की मांग करते थे। विवाह के दो माह पश्चात जब आवेदिका गर्भवती हुई तो अनावेदकगण द्वारा उसका गर्भ गिराने का प्रयास किया गया। जब आवेदिका द्वारा इस संबंध में अपने मायके वालों को सूचित किया तो आवेदिका के पिता उसे लेने उसकी ससुराल पहुंचे तो अनावेदकगण आवेदिका के पिता से भी बीस लाख रूपयश्े और फ्लेट की मांग की, जब अनावेदकगण को समझाया तो वे नहीं माने तब आवेदिका का पिता आवेदिका को अपने घर ले गया उसके लगभग 4 माह आवेदिका अपने मायके में रही फिर उसके पिता उसे फरीदाबाद उसकी ससुराल छोड आये किंतु अनावेदकगण के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और अनावेदक राजेश आवेदिका को गर्भवती अवस्था में ही मायके में सडक पर छोडकर चला गया।

9. इसके अलावा आवेदिका ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया कि प्रसव के समय भी अनावेदक उसे लेने नही आया। प्रसव के डेढ माह बाद प्रत्यर्थी राजेश उसके मायके आया और फिर से दहेज की मांग की और फिर से अनावेदक राजेश आवेदिका को उसके मायके ही छोडकर चला गया। कुछ दिनों बाद जब आवेदिका अपने पुत्र के साथ ससुराल गई तो अनावेदकगण का व्यवहार आवेदिका व उसके पुत्र के प्रति क्रूरतापूर्ण रहा। आवेदिका ने आगे बतलाया है कि वर्ष 2006 में वह वूमेन सेल की मदद से अपनी ससुराल गई थी। तब भी अनावेदकगण का व्यवहार क्रूरतापूर्ण था वह आवेदिका के बच्चे को उसके पास नहीं छोडते थे और आवेदिका को भूखा रखते थे, आवेदिका की ननद स्नेहलता आवेदिका की उपस्थिति में उसके बच्चे से स्वयं को मां बुलवाती थी। इस प्रकार आवेदिका द्वारा अपने संपूर्ण कथनों में घरेलू हिंसा कारित किया जाना बतलाया है। अपने प्रतिपरीक्षण में भी आवेदिका द्वारा उपरोक्त कथनों के विपरीत कोई कथन नहीं किया है। आवेदिका ने स्वयं

द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के समर्थन में अभिलेख पर प्रदर्श पी.1 लगायत प्रदर्श पी. 68 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, जो कि आवेदिका एवं उसके पुत्र के इलाज से संबंधित पर्चे एवं जांच रिपोर्ट हैं।

10. आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के खंडन में अनावेदक राजेश द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बतलाया है कि आवेदिका से उसका विवाह बिना किसी दान दहेज के दिनांक 16.02.2004 को संपन्न हुआ था और उसकी बहन स्नेहलता का विवाह वर्ष 2002 को हुआ था, उसकी ससुराल गांधीधाम गुजरात में है। अनावेदक की बहन स्नेहलता अनावेदक के विवाह में उपस्थित हुई थी किंतु उसके पश्चात वह अनावेदकगण के घर कभी नहीं आई। विवाह के समय आवेदिका का व्यवहार अनावेदक और उसके माता—पिता के प्रति क्रूरतापूर्ण रहा, वह छोटी—छोटी बातों पर अनावेदक व उसके माता—पिता के साथ अभद्र व्यवहार करती थी जबकि अनावेदक अपनी पत्नी शीतल गुप्ता को स्नेहपूर्वक रखता था। अनावेदक द्वारा आवेदिका के नाम से एक मेडीक्लेम पॉलिसी भी कराई थी जो प्रदर्श डी.1 व डी.2 है। आवेदिका के गर्भ के समय अनावेदक द्वारा फरीदाबाद में एस्कार्ट अस्पताल में मई 2004 में चेकअप भी करवाया था, उसके पश्चात आवेदिका और उसकी मां की इच्छा पर कि पहला बच्चा मायके में हो, इस कारण गौरी नर्सिंग होम में आवेदिका का इलाज करवाया और दिनांक 11.01.2005 को पुत्र जीतेश का जन्म हुआ। नर्सिंग होम में हुये समस्त इलाज का खर्चा अनावेदक द्वारा वहन किया गया और प्रदर्श पी.3 के दस्तावेज अनुसार आवेदिका का इलाज कराया गया।

11. अनावेदक द्वारा आगे यह बतलाया है कि उसके द्वारा आवेदिका को अपने माता—पिता से अलग रखकर खुश रखने की कोशिश की किंतु फिर भी वह लडाई झगडा करती थी। आवेदिका द्वारा दिनांक 15.03.2010 को प्रदर्श डी.5 का दस्तावेज इस आशय का प्रदान किया था कि उसने पुत्र जीतेश की अभिरक्षा अपनी मर्जी से अनावेदक को सौंपी थी। उक्त दस्तावेज के ए से ए भाग पर आवेदिका शीतल और डी से डी भाग पर साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षर होना बतलाये गये हैं। अनावेदक द्वारा यह भी बतलाया है कि वर्ष 2007 में उसने अपने माता—पिता से अलग किराये से मकान लिया था, जिसका एग्रीमेंट प्रदर्श डी.6 है, उसके पश्चात आवेदिका कभी भी माता पिता के साथ नहीं रही। दिनांक 10.10.2010 को आवेदिका बिना बताये घर से चली गई

थी, जिसके संबंध में आवेदक द्वारा एस.एच.ओ. फरीदाबाद को शिकायत की थी जो प्रदर्श डी.7 है। उक्त संबंध में अखबार में जारी सूचना की रसीद प्रदर्श डी.8 है। अनावेदक द्वारा यह भी बतलाया है कि आवेदिका शीतल के माता—पिता द्वारा उसके पुत्र जीतेश को जबरदस्ती पार्क से ले जाने की कोशिश की थी, जिसके संबंध में अनावेदक राजेश द्वारा फरीदाबाद थाने में शिकायत की थी जो प्रदर्श डी.10 है। उक्त घटना दिनांक 03.07.2014 की है। जिसके संबंध में पुलिस द्वारा आवेदिका की मां के कथन लिये जाने पर उसने घटना को स्वीकार किया था, उपरोक्त कथन प्रदर्श डी.11 है। आवेदिका शीतल द्वारा दिनांक 28.08.2006 को पुलिस को इस आशय का दिया गया आवेदन कि उसके पति एवं आवेदिका के मध्य मात्र मन मुटाव है, उक्त संबंध में शिकायत प्रदर्श डी.12 है। इस प्रकार अनावेदक राजेश द्वारा अपने संपूर्ण मुख्य परीक्षण में आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित किये जाने से इंकार किया है। अनावेदक द्वारा अपने पुत्र के संबंध में यह बतलाया है कि वह अनावेदक के साथ रहकर बहुत खुश है और वह आवेदिका के साथ नहीं रहना चाहता है। अनावेदक द्वारा अपने पुत्र जीतेश के स्कूल में होने वाले टेस्ट के संबंध में प्रस्तुत कॉपी प्रदर्श डी.12, 13 व 14 है। जीतेश द्वारा स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रदर्श डी.15 लगायत प्रदर्श डी.21 है।

12. अनावेदकगण की ओर से अनावेदक साक्षी जीतेश की भी साक्ष्य लेखबद्ध कराई गई है। उपरोक्त साक्षी की सक्षमता के संबंध में प्रश्न पूछे जाने के पश्चात साक्षी जीतेश द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में बतलाया है कि प्रत्यर्थी राजेश उसका पिता व व्यथित व्यक्ति शीतल उसकी मां है। जब उक्त साक्षी अपनी मां के साथ निवास करता था तो वह बेवजह उसकी मारपीट व गाली गलोज करती थी जिससे वह अच्छे से नहीं पढ पाता था, जब से वह अपने पिता के साथ निवास कर रहा है तब से वह प्रसन्न है और डीपीएस फरीदाबाद में कक्षा 7 में पढता था। उसके पिता और दादा—दादी उसे बहुत अच्छे से रखते हैं। उक्त साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के पद क.5 में यह बतलाया है कि वह अपनी मां के साथ निवास नहीं करना चाहता है न उससे मिलने चाहता है क्योंकि उसकी मां का व्यवहार उसके पिता के लिये अच्छा नहीं था और दादा—दादी के लिये भी उसकी मां गाली—गलोज

करती थी। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा आवेदिका के व्यवहार के संबंध में विपरीत कथन किये गये हैं।

13. आवेदिका द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में पद क्र.6 में यह बतलाया है कि वर्ष 2006 में वह वूमेन सेल की मदद से अपनी ससुराल गई थी किंतु उसके द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। अभिलेख पर यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदिका का विवाह 16 फरवरी 2004 को हुआ था और उभयपक्ष के ससंर्ग से उनका एक पुत्र जीतेश है। आवेदिका ने विवाह के तुरंत पश्चात ही अनावेदकगण द्वारा बीस लाख रूपये नकद और फ्लेट की मांग के संबंध में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाना बतलाया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण आवेदिका द्वारा दिनांक 23.10.13 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार यह मामला आवेदिका के विवाह के लगभग 9 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है। उक्त 9 वर्ष की समय अवधि में आवेदिका द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध मारपीट किये जाने या दहेज की मांग के संबंध में किसी भी पुलिस अधिकारी के समक्ष अथवा अन्य किसी संस्था के समक्ष शिकायत की हो, ऐसे कोई दस्तावेज आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जबकि अनावेदकगण द्वारा प्रदर्श डी.1 लगायत प्रदर्श डी.7 के जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, उनसे दर्शित होता है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदिका के भविष्य एवं स्वास्थ को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2004 में मेडि क्लेम पॉलिसी करवाई। उक्त मेडिक्लेम पॉलिसी आवेदिका के विवाह के 5 माह पश्चात ही दिनांक 21 जुलाई 2004 एवं 15 जून 2006 की होना दर्शित है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्य से यहां यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है कि अनावेदकगण का व्यवहार विवाह के तुरंत पश्चात से ही आवेदिका के प्रति क्रूरतापूर्ण रहा तो उसके पति राजेश द्वारा उक्त पॉलिसी क्यों करवाई?

14. अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अंतिम तर्क के दौरान बतलाया गया है कि प्रकरण में प्रथमतः विहित रूप से डीआईआर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि आवेदिका द्वारा फरीदाबाद एवं दिल्ली में घरेलू हिंसा होना बतलाया है जबकि प्रकरण ग्वालियर में प्रस्तुत किया गया और डीआईआर रिपोर्ट भी ग्वालियर जिले के संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत डीआईआर रिपोर्ट स्वयं आवेदिका की हस्तलिपि में है। इस संबंध में आवेदिका अधिवक्ता ने खंडन में तर्क करते हुये बतलाया कि

आवेदिका द्वारा कुछ तथ्यों को अंग्रेजी भाषा में संरक्षण अधिकारी को बतलाया था किंतु संरक्षण अधिकारी के अंग्रेजी समझने में असमर्थ होने के कारण आवेदिका द्वारा कुछ तथ्यों को अपनी हस्तलिपि में डीआईआर रिपोर्ट में लेखबद्ध किया गया। डीआईआर रिपोर्ट किस व्यक्ति के हस्तलेख में है यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आवेदिका के साथ किस स्थान पर घरेलू हिंसा हुई उपरोक्त तथ्य निराकरण हेतु महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी आपत्ति व्यक्त की गई कि प्रकरण में डीआईआर रिपोर्ट आवेदिका द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी थी किंतु उपरोक्त आपत्ति इस आधार पर मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि डीआईआर रिपोर्ट सीधे न्यायलाय में संरक्षण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है और उसके आधार पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है।

15. घरेलू हिंसा के संबंध में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करें तो अनावेदक साक्षी जीतेश का यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उसकी मां शीतल का व्यवहार उसके पिता के साथ अच्छा नहीं था और उसकी मां उसके साथ भी मारपीट करती थी। यद्यपि साक्षी जीतेश न्यायालय के आदेश से अपने पिता के साथ ही निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने पिता के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना स्वाभाविक है किंतु साक्ष्य प्रस्तुति दिनांक पर उक्त साक्षी लगभग साढे ग्यारह वर्ष का था। ऐसी स्थिति में वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य देने बाबत सक्षम साक्षी है और लगभग 11 वर्ष के बालक द्वारा अपनी मां के विरूद्ध बिना किसी आधार के कथन दिये जाने का कोई कारण इस न्यायालय को प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होता है। अनावेदक राजेश द्वारा भी अपनी साक्ष्य में आवेदिका के व्यवहार के संबंध में विपरीत कथन किये हैं । यद्यपि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि एकमात्र व्यथित व्यक्ति की साक्ष्य के आधार पर भी अनावेदकगण के विरूद्ध दोषसिद्धि कायम की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी साक्षीगण की संख्या को महत्व न देकर साक्ष्य की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण माना गया है किंतु प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा

अनावेदकगण के विरूद्ध घरेलू हिंसा कारित किये जाने के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे यह दर्शित हो कि इस प्रकरण के संस्थित किये जाने के पूर्व आवेदिका द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध कोई शिकायत की गई हो।

16. घरेलू हिंसा के लिये एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आवेदिका का साझा गृहस्थी में निवास करना है। इस संबंध में आवेदिका ने अपनी साक्ष्य में यह बतलाया है कि वह विवाह के पश्चात 3 माह तक प्रत्यर्थी के साथ साझा गृहस्थी में रही, बीच—बीच में अपनी ससुराल आती जाती रही। **अधिनियम के तहत साझा गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ रह चुका है और ऐसी गृहस्थी भी है जिसमें व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी किरायेदारी में है।** चूंकि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं यह बतलाया है कि आवेदिका द्वारा बोले जाने पर वर्ष 2007 में किराये से मकान लिया था, जिसमें वह आवेदिका के साथ निवासरत था। विवाह के पश्चात भी अनावेदक द्वारा स्वयं को आवेदिका के साथ रहना बतलाया है। दिनांक 10.10.2010 को अनावेदक द्वारा आवेदिका को घर से बिना बताये चले जाना व्यक्त किया है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आवेदिका अनावेदक के साथ साझा गृहस्थी में कुछ समय तक अपनी ससुराल में और वर्ष 2007 से 2010 के मध्य अनावेदक राजेश के साथ किराये के मकान में निवासरत रही। अब यह देखना है कि क्या साझा गृहस्थी में अनावेदकगण द्वारा आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई?

17. घरेलू हिंसा कारित किये जाने के संबंध में अभिलेख पर मात्र आवेदिका की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदिका ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं यह बतलाया है कि अनावेदकगण द्वारा क्रूरता कारित किये जाने के संबंध में जब उसने अपने पिता को सूचित किया और पिता उसे उसकी ससुराल फरीदाबाद लेने आये तब अनावेदकगण द्वारा उसके पिता से भी बीस लाख रूपये नकद एवं फलेट की मांग की थी किंतु आवेदिका द्वारा प्रकरण में अपने पिता की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि क्रूरता एवं घरेलू हिंसा के मामले में व्यथित व्यक्ति ही सर्वोत्तम साक्षी होता है, किंतु

प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में प्रत्येक महिला अपने साथ होने वाली क्रूरता के संबंध में अपने माता—पिता अथवा भाई—बहन या नजदीकी रिश्तेदार को अवश्य सूचित करती है। इस प्रकरण में भी आवेदिका द्वारा अपने पिता को अपने साथ हुई घटना के संबंध में सूचित किया गया, किंतु अभिलेख पर साक्षी के रूप में उन्हें क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया, इसका कोई कारण दर्शित नहीं होता है।

18. वर्ष 2010 में आवेदिका बिना बताये अपने पति के साथ किराये के मकान से चली गई। इसके संबंध में आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता ने तर्क दौरान बतलाया है कि मकान मालिक प्रवीण वशिष्ट ने बताया था कि अनावेदक राजेश द्वारा किराया अदा नहीं किया गया। इसलिये आवेदिका ने मकान खाली कर दिया। किंतु आवेदिका द्वारा अनावेदक राजेश द्वारा मकान का किराया न दिये जाने के संबंध में न तो कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये हैं और न ही उपरोक्त मकान मालिक को बतौर साक्षी प्रकरण में तलब किया गया है। इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा जो तथ्य एवं दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं, उससे यह दर्शित होता है कि अनावेदक राजेश द्वारा शीतल के प्रति अपने पति के दायित्वों को पूर्ण रूप से निर्वहन किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदिका के स्वास्थ को दृष्टिगत रखते हुये उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी भी करवाई, पुत्र की शिक्षा हेतु उसके द्वारा उचित प्रबंध किये गये। जहां तक अनावेदक की बहन स्नेहलता द्वारा आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित किये जाने का प्रश्न है तो अनावेदक द्वारा अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि उसकी बहन अनावेदक के विवाह में आई थी, किंतु उसके पश्चात वह अनावेदक के घर कभी नहीं आई, उपरोक्त तथ्य के खंडन में आवेदिका द्वारा मात्र यह बतलाया है कि प्रत्यर्थी स्नेहलता शादी के पश्चात भी आवेदिका की ससुराल में आती थी और उसे परेशान करती थी किंतु आवेदिका द्वारा यह नहीं बताया है कि प्रत्यर्थी स्नेहलता किस दिनांक को अथवा किस समय अवधि में आवेदिका की ससुराल में रही। अभिलेख पर ऐसे कोई दस्तावेज आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे दर्शित हो कि अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदिका द्वारा घरेलू हिंसा कारित किये जाने के संबंध में पुलिस के समक्ष कोई आवेदन अथवा शिकायत की हो। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है

कि अनावेदकगण द्वारा साझा गृहस्थी के दौरान आवेदिका शीतल के साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित नहीं की गई है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रं.1 प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क0 2

19. आवेदिका द्वारा अपनी डी0आई0आर0 रिपोर्ट एवं अभिसाक्ष्य में यह बतलाया है कि विवाह के पश्चात् उसके पति एवं अन्य प्रत्यर्थीगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर आवेदिका के साथ गाली गलौंच एवं मारपीट की गई थी, किंतु पूर्व विचारणीय प्रश्न के संबंध में आवेदिका यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। इस प्रकार आवेदिका को उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदिका अधिनियम की धारा 18 के तहत संरक्षण आदेश प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क0 3

20. आवेदिका शीतल अ0सा0 1 द्वारा अपनी अभिसाक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि अनावेदकगण द्वारा मारपीट एवं परेशान किये जाने पर वह अपने माता–पिता के यहां निवास कर रही है। चूंकि प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक क्र0 1 राजेश गुप्ता आवेदिका का पति है और अनावेदक अपनी पत्नी को वर्तमान में भी अपने साथ रखने को तैयार है, तब ऐसी स्थिति में आवेदिका स्वेच्छया अपने पति के साथ निवास कर सकती है किंतु आवेदिका द्वारा जो तथ्य अपनी साक्ष्य में बतलाये है। उनके आधार पर आवेदिका को पृथक से निवास हेतु अनुतोष प्रदान किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदिका अधिनियम की धारा 19 के तहत निवास आदेश प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क0 4 एवं 6

21. आवेदिका द्वारा दी गई साक्ष्य से चूंकि यह प्रमाणित नहीं होता है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित की गई। अधिनियत की धारा 20 यह प्रावधान करती है कि धारा 12 के अंतर्गत लंबित आवेदन का निराकरण करते समय व्यथित व्यक्ति को हुई हानि एवं खर्चों की क्षति पूर्ति हेतु धनीय आदेश एवं अनुतोष संदाय किया जा सकता है।

उक्त धारा के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति से उसकी संतान के लिए भरण पोषण हेतु धन राशि संदाय का आदेश दिया जा सकता है। उक्त अनुतोष पर्याप्त उचित एवं युक्तियुक्त होना चाहिए और उस व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुसार दिया जाना चाहिए, किंतु वर्तमान प्रकरण में ना तो आवेदिका के साथ घरेलू हिंसा कारित किया जाना प्रमाणित है और ना ही आवेदिका ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि उसे किस प्रकार से मानसिक और शारीरिक क्षति हुई तब न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के अभाव में आवेदिका को हुई क्षति का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। आवेदिका का पुत्र भी अपने पिता के साथ निवास कर रहा है और उसके भरणपोषण और शिक्षा का समस्त खर्चा अनावेदक राजेश द्वारा ही वहन किया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में अनावेदकगण से आवेदिका को स्वयं के लिये एवं पुत्र के लिये धनीय अनुतोष एवं क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार विचारणीय प्रश्न क0 4 व 6 प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक 5 —:

22. अधिनिमय की धारा 21 में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या अन्य अनुतोष के लिये प्रस्तुत आवेदन की सुनवाई के प्रक्रम पर न्यायालय व्यथित व्यक्ति को किसी संतान की अस्थाई अभिरक्षा दे सकेगा अथवा प्रत्यर्थी द्वारा ऐसे इंतजाम किये जाने के संबंध में निर्देश कर सकेगा। न्यायदृष्टात **अनवर भाई रसूल भाई विरूद्ध मुमताज बेन ए.आई.आर 2010, पेज नं 627** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि मजिस्ट्रेट शिशु की अभिरक्षा के लिये मात्र अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 02.05.2015 को धारा 21 के तहत आवेदन का निराकरण कर अनावेदक राजेश को उसके पुत्र जीतेश की अभिरक्षा प्रदान की गई। अभिलेख पर प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट दर्शित है कि अनावेदक द्वारा अपने पुत्र जीतेश की अच्छी तरह से भरणपोषण एवं देखभाल की जा रही है। उसके द्वारा जीतेश की शिक्षा के संबंध में भी उचित प्रबंध किये गये हैं।

23. चूंकि अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को बालक अथवा बालकों की

अभिरक्षा के संबंध में मात्र अस्थाई अभिरक्षा प्रदान किये जाने की शक्ति प्रदान की गई है, चूंकि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के पुत्र जीतेश के संबंध में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय का कोई आदेश इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तब ऐसी स्थिति में इस संबंध में पूर्व में पारित अंतरिम अभिरक्षा आदेश को भी यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष जीतेश की अभिरक्षा के संबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। सक्षम न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

24. इस प्रकार पूर्वोक्त विवेचना के अनुसार आवेदिका यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा उसके साथ घरेलू हिंसा कारित की गई।

25. फलतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम अस्वीकार किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
उद्घोषित किया गया ।

रानो पाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर, म0प्र0

मेरे बोलने पर टंकित

रानो पाल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ग्वालियर, म0प्र0